संख्या 26 / 2025/ 616/ सत्रह-म-2025- 17-1099/55/ 2021

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 22 सितम्बर, 2025

विषय- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में संशोधित मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 188/नि0शा0/म0पा0क0को0/2025-26 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 6/2023/ 270/सत्रह-म-2023 -17-1099/55/2021 दिनांक 06.03.2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या 3/2025 /138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 27.01.2025 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश शासनादेश संख्या- 6/2023/ 270/सत्रह-म-2023 -17-1099/55/2021 दिनांक 06.03.2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या 3/2025 /138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 27.01.2025 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

शासनादेश प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(4)(क)	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है।	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना एवं मत्स्य पालक / मछुआ आबादी वाले ग्रामों में स्थित मत्स्य विभाग

		के प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार/ पुनर्विकास भी सम्मिलित है।
2(21) (अ)	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट अत्यंत अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है- 1. पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020-33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। चयन प्रक्रिया- अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट अत्यंत अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है- 1- पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई,2016 व 30/ 2020/ 1594/33-3-2020-33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। चयन प्रक्रिया- अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

	करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। निर्माण लागत- अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी	प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। वसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। निर्माण लागत- अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वितीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्

	द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन / सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/ मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापनाः सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं आगणन के अनुसार जिसकी काम्प्रीहेन्सिव वारंटी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष हो, के अनुसार स्थापित कराया जायेगा। आगणन की धनराशि समय-समय पर यूपी नेडा द्वारा संशोधित अनुमोदित आगणन के अनुसार परिवर्तनीय होगी।	किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन / सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/ मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा। 2. सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापनाः i. सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता की स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं आगणन के अनुसार जिसकी काम्प्रीहेन्सिव वारंटी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष हो, के अनुसार स्थापित कराया जायेगा। ii. आगणन की धनराशि समय-समय पर यूपी नेडा द्वारा संशोधित अनुमोदित आगणन के अनुसार परिवर्तनीय होगी। iii. इसकी स्थापना निम्न शर्तों के अनुसार की जायेगीः (क). मछुआ बाहुल्य ग्राम चयन हेतु पात्र होंगे।

	इसकी स्थापना निम्न शर्तों के अनुसार की जायेगीः (क) मछुआ बाहुल्य ग्राम चयन हेतु पात्र होंगे। (ख) प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व से किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट स्थापित न हों। (ग) ग्राम के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में ग्राम की उपयुक्तता एवं सोलर लाइट की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरांत ऑफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में हाई मास्ट लाइट स्थापना हेतु चयनित ग्राम का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। Iv स्थापना के उपरांत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसका देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। v. कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।	(ख). प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व से किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट स्थापित न हों। (ग). ग्राम के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में ग्राम की उपयुक्तता एवं सोलर लाइट की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरांत ऑफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में हाई मास्ट लाइट स्थापना हेतु चयनित ग्राम का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। iv. स्थापना के उपरांत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसका देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। v. कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। (3) मत्स्य पालक / मछुआ आबादी वाले ग्रामों में स्थित मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार/ पुनर्विकासः (i)मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के अंतर्गत मत्स्य पालक/ मछुआ आबादी वाले ग्रामों में स्थित मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार कार्य कोष के माध्यम से किया जा सकेगा। (ii) मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार/पुनर्विकास अंतर्गत कोष के माध्यम

		से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकेंगे: (क) प्रक्षेत्र पर नर्सरियों/तालाबों का सुधार, (ख) जलापूर्ति व्यवस्था हेतु नलकूपों की स्थापना एवं मरम्मत, (ग) मत्स्य बीज उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु आवश्यक उपकरण/मशीनरी का क्रय (घ) प्रक्षेत्र की सुरक्षा हेतु सीमा पर कटीले तारों की फेन्सिंग आदि (च) ऐसे अन्य कार्य जो मत्स्य प्रक्षेत्र से मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु सहायक हों (iii)कार्यदायी संस्था- विभागीय प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग द्वारा, वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। (iv) निर्माण लागत- मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों का जीर्णोद्धार/पुनर्विकास अंतर्गत सिविल कार्य हेतु आगणन लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची (SOR) के अनुसार तैयार किया जायेगा। जीर्णोद्धार/पुनर्विकास के आगणन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्य किया जायेगा। (v) अन्य बिन्दु: (क) मत्स्य प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार/ पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित कार्य/मद किसी अन्य योजनान्तर्गत विगत 05 वर्षों में संपादित न कराए गए हों, की स्थिति में ही कोष के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हुए संपादित कराए जाए।

		(ख) संपादित सिविल कार्यों का आगणन सक्षम स्तर से तैयार कराते हुए नियमानुसार आगणन अनुमोदन एवं कार्य का सम्पादन कार्यदायी संस्था नामित कराते हुए किया जाए। (ग) परियोजना अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति के समय प्रस्तुत रिपोर्ट में आगणन के साथ-साथ परियोजना प्रस्ताव की आर्थिकी एवं आउटकम्स विवरण का परीक्षण करते हुए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित की जाएगी ।

4- शासनादेश दिनांक 06.03.2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश 27.01.2025 द्वारा मार्ग- निर्देश में संशोधन के सम्बंध में उक्त नियमावली में अंकित उद्देश्य/ शर्तों /मानकों के निर्धारण/ संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय-भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बंधित विभाग से कराया जायेगा।

5- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 19-09-2025
15:38:39

(अमित कुमार घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 26 / 2025/616/ सत्रह-म-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/ सिंचाई/ग्राम्य विकास / वित्त/ कृषि/पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य एवं प्रस्संकरण/ राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
(8) निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(9) समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक ऑफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।

(10) समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।

(11) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।

(12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।